कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(cco_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः– 7267 दिनांकः– 11/07/24

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

U. B. No. DLB2425GLOB03068

नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में बरसात/अतिवृष्टी के दौरान पानी निकालने के कार्यो हेतु चार माह के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमता के पम्प उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु ई–निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते www.eproc.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांकः– 7268 to 7277 दिनांकः–

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2. निजी सहायक, आयुक्त महादेया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3. लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4. अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5. सहायक अभियंता (यांत्रिक) नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
6. बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
7. प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs, www.sppp.rajasthan.gov.in , www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें।
8. राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हो एवं एक क्षैत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
9. नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
10. गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
8850841

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)

(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

कमांक:– 7267 DLB2425GLOB03068 दिनांक:– 11/07/24

ई–निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण, की ओर से निविदा शर्तो के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मो/संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में निम्न कार्य हेतु अल्पकालीन ऑन लाईन निविदा आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	11/07/24	05:00
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	11/07/24	05:30
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	19/07/24	03:00
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी.डी/बैंकर्स चैक की मूल प्रति गैरेज प्रभारी, नगर निगम दक्षिण कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	19/07/24	03:30
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	19/07/24	04:30

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	प्रकिया शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में बरसात/अतिवृष्टी के दौरान पानी निकालने के कार्यो हेतु चार माह के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमता के पम्प उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु निविदा।	40.00 लाख	80,000/–	500/–	500/–	चार माह

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :–

1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलैक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।
2. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
8850841

3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी / बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	80,000/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई–टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	500/–	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 60 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तो में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना, सेवानिवृति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों मे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुवन्ध रद्द किया जा सकेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
8850841

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर)
(ceo_nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

क्रमांकः–

दिनांकः–

कार्य का नाम :– नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में बरसात/अतिवृष्टी के दौरान पानी निकालने के कार्यों हेतु चार माह के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमता के किराये के पम्प मय संचालन एवं रखरखाव उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु निविदा।

1 कार्य की परिभाषा :–

1.1 संवेदक को नगर निगम जोधपुर दक्षिण के सम्पूर्ण क्षेत्र में वार्डो से मांग अनुसार पम्प लगा पानी निकासी का कार्य सम्पादित करना होगा।

2 निविदा प्रस्तुत करना :–

1 निविदा द्वि–स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनिक बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनिकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियॉ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर निर्धारित प्रारूप (BOQ) में ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।

2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :–

"आयुक्त"
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

संवेदक का पत्राचार हेतु पता (संवेदक अपना स्थाई पता, फैक्स, ई–मेल, फोन नम्बर अंकित करें):–

....
....
....

3 संवेदक की पात्रता एवं तकनिकी निविदा के साथ में निविदादाता द्वारा निम्न दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किये जावेंगे :–

3.1 निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई–टेण्डरिग प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी/बैंकर चैक की स्केन प्रति।

3.2 निविदादाता/फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।

3.3 फर्म का गत 3 वर्षो में औसत टर्न ओवर 10.00 लाख रूपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण स्वरुप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षो की सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स सीट की स्केन प्रति।

3.4 संवेदक/फर्म के स्वयं के नाम कम से कम 4 पम्पों का पंजिकृत स्वामित्व तथा आवश्यकता होने पर मांग अनुसार अन्य सभी पम्पों को उपलब्ध करवाने का घोषणा पत्र (परिशिष्ट 'ब') प्रस्तुत करना होगा। संवेदक/फर्म के स्वयं के नाम पंजीकृत पम्पों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की प्रति स्केन करके ऑनलाईन अपलोड करनी होगी। सभी पम्प 2015 मॉडल या उसके बाद के होने चाहिए। पम्प इससे पुराने मॉडल स्वीकार योग्य नहीं है।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref
8850841

3.5 निविदादाता फर्म/संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय/अर्द्वसरकारी कार्यालय/नगर निगम से ब्लैकलिस्ट नही होना चाहिये तथा फर्म/संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नही होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र रूपये 100/– के नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्केन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

3.6 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की स्केन प्रति।

3.7 संवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।

3.8 निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।

नोट :– उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 8 तक निर्धारित तकनिकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड करने होंगे। उपरोक्त दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड नहीं करने या अपलोड किये गये दस्तावेजों पर स्पस्टीकरण हेतु निविदा समिति निविदादाता से दस्तावेज मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पस्टीकरण हेतु दस्तावेज दी गई समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा दाता को तकनिकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वितिय बिड नहीं खोली जायेगी।

4. <u>सामान्य शर्ते</u> :–

1. **निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी./बैंकर्स चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।**
2. निविदा शुल्क व ई–प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।
3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।
4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति निगम दक्षिण को भोगोलिक स्थिती इत्यादि का निरीक्षण/जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे सबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें।
5. निविदादाता कार्य की प्रकृति, क्षेत्र की भोगोलिक स्थिती, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम–शर्तो/निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वितीय बिड में प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयावधि के लिए स्थिर (फिक्स) रहेगी जो कि किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नही होगी। प्रस्तुत दरें सभी करों सहित होगी ।
6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन/निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।
7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम/शर्तों, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व कार्यालय नगर निगम जोधपुर, दक्षिण, गैरेज कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
8. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरो में सभी टैक्स सम्मिलित होगें। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
9. निविदा की अवधि चार माह की होगी। कार्य संतोषजनक/आवश्यकता होने पर संवेदक की सहमति से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अवधि बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा अन्य परिस्थितियॉ होने पर किसी भी समय नगर निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई याद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved Ref 8850841

10. नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता देना होगा।

11. नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :–
   (क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।
   (ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/शेड्यूल बैंक की बैक गारण्टी/शेड्यूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।
   (ग) नगर निगम बैंक गारंटी जारी करने वाले बैंक से बैंक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
   (घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
   (ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।

12. सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।

13. यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो नगर निगम जोधपुर दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L_2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।

14. कार्यादेश प्राप्ति पश्चात् शर्तो की पालना करते हुए आवश्यकता अनुसार पम्प लगाते हुए कार्य का संचालन शुरू करना होगा जिनका परीक्षण गैरेज प्रभारी द्वारा किया जायेगा। सभी पम्प शर्तों अनुसार होने पर ही स्वीकार किये जायेगें। जिनका निविदा शर्तो, Technical Specification के अनुसार नहीं होने पर स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

15. सफल निविदादाता की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नही किया जायेगा। निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय समय में गैरेज शाखा दक्षिण से प्राप्त की जा सकेगी।

16. केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपकम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगें।

17. **प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture)**:– प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणो में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा–
   (क) जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।
   (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
   (ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयावधि में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
   (घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में कय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

18. निम्न स्थिति मे धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
   (1) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तों में किसी तरह का संशोधन करता है।
   (2) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयावधि में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
   (3) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
   (4) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।

Signature valid
Digitally signed by T
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref
8850841

(5) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।

19. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि—

(1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।

(2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।

(3) जानबुझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।

20. समयावधि के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयावधि के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम जोधपुर दक्षिण उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्विपत्र/संशोधन ई– प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।

21. नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।

22. निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए निविदा स्वीकार नही किया जावेगा।

23. सफल निविदादाता द्वारा चार माह की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

24. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तों अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

25. निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013, GF&AR तथा वित विभाग के सभी नियम यथा परिवर्तन लागू होगें।

26. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिए संवेदक/फर्म जिम्मेदार होगा।

27. किसी भी विवाद में प्रशासक/आयुक्त/महापौर द्वारा निर्णय किया जायेगा।

5. **पम्प संचालन के सम्बंध में निविदादाता को निर्देश**

1. अतिवृष्टी, बरसात मोसम के दौरान किसी प्रकार का अवकाश देय नही होगा।
2. पम्प की दैनिक लोगबुक पम्प के साथ रखी जायेगी जिसमें पम्प को उपयोग में लेने वाले अधिकारी/वार्ड प्रभारी/SI द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य का घण्टो अनुसार प्रमाणीकरण करवाया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुपातिक कटौती की जायेगी।
3. ड्युटी पर तैनात कोई भी पम्प संचालक किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशीला पदार्थ सेवन किया हुआ नहीं होना चाहिये तथा किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण नही करेगा। शारीरिक रूप से असक्षम एवं बाल श्रमिक कार्य पर नहीं लिया जावेगा। संवेदक द्वारा लगाये गये सभी पम्प संचालक अनुशासित, समय पाबन्द, मृदुभाषी होगें। उनके दुर्व्यवहार व गलत आचरण करने पर गैरेज प्रभारी के निर्देश पर उपर्युक्त संचालक को बदलना होगा तथा रू 500/– प्रति पम्प संचालक प्रति घटना की दण्ड (शास्ती) राशि काटी जायेगी। संवेदक द्वारा उपलब्ध पम्प संचालक का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार पम्प संचालक को बदलना होगा।
4. पम्पों के लिए ईधन (डिजल/ऑयल) एवं मरम्मत के कार्य की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी। मगर 100 HP मोना ब्लॉक पम्प हेतु इलेक्ट्रिकसीटी की व्यवस्था निगम दक्षिण द्वारा करवायी जायेगी।
5. संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये पम्प/पम्प संचालक से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी। ट्रैफिक नियमों की अवहेलना करने पर किसी भी तरह के चालान के लिये संवेदक/वाहन चालक जिम्मेदार होगा।
6. कार्य समय में कार्य स्थल पर जाते समय या कार्य करते समय किसी प्रकार की प्राकृतिक/अप्राकृतिक घटना/दुर्घटना से जनसाधारण या श्रमिकों के घायल होने/मृत्यु होने आदि पर सभी प्रकार का उतरदायित्व (वितीय एवं विधिक) संवेदक का होगा। नगर निगम किसी भी प्रकार से किसी भी स्तर पर विधिक या अन्य रूप से उतरदायी नहीं होगा।

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref 8850841

संवेदक प्रत्येक माह के बिल आगामी माह की 20 तारीख तक भुगतान हेतु गैरेज प्रभारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। 20 तारीख तक बिल प्रस्तुत नहीं करने पर बिल राशि की 02 प्रतिशत शास्ती काटी जावेगी।

8. पम्प संचालक/फर्म को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. एवं अन्य भत्ते निगम की ओर से देय नहीं होगें।

9. सभी पम्पों के रजिस्ट्रेशन, इन्शोरेन्स, पम्प संचालक के इन्श्योरेंस आदि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा। निविदादाता को संचालक आदि का उपयुक्त बीमा/इन्श्योरेन्स कराना होगा तथा श्रम नियमों एवं भविष्य निधि नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। सफल निविदादाता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मशीन/पम्प का बीमा, रजिस्ट्रेशन, पम्प संचालक का लाइसेन्स व पम्पों से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों की प्रतिया गैरेज प्रभारी कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।

10. <u>मशीन/वाहन और मशीन/वाहन चालकों का विवरणः–</u>

(अ) निम्न प्रपत्र में सूचना कार्यादेश जारी होने के बाद लेकिन कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व गैरेज शाखा में गैरेज प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी।

क.स.	पम्प संचालक का नाम व पता
1	
2	
3	

पम्पों की उपलब्धता सम्बन्धी विवरण निम्न प्रारूप में देना होगा।

(ब) उपलब्ध पम्पों का विवरणः–

क.स.	पम्प मेक	हॉर्स पावर (BHP)	पम्प मॉडल वर्ष	वाहन मालिक का नाम

11. संवेदक द्वारा पम्प संचालकों/कर्मचारियों को सुरक्षा उपकरण अपने स्तर पर उपलब्ध करवाये जावेगें तथा कार्य के दौरान हमेशा सुरक्षा उपकरण साथ रखने होंगें। कार्य हेतु एवं कार्य के दौरान पम्प संचालकों की सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी भी प्रकार की दुर्घटना के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

12. सफल निविदादाता द्वारा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नगर निगम गैरेज अधिकारियों को सभी पम्पों का भौतिक सत्यापन करवाना होगा।

6. <u>कार्य विधि, कार्य प्रमाणन एवं भुगतान :–</u>

1. सामान्यतया पम्पों से Dewatering कार्य नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में 24 घण्टे (प्रातः 7 बजे से प्रातः 7 बजे) के कुल समय में किसी भी समय नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में किसी भी जोन में उपलब्ध करवाने होंगे। Dewatering कार्य का निर्धारण निगम के अधिकृत अधिकारी करेगें उसी अनुसार कार्य करना होगा।, पम्प परीवहन शुल्क अलग से देय नही होगा।
2. पम्पों को संचालित करने हेतु निर्धारित स्थल/पार्किंग स्थल की व्यवस्था की जिम्मेदारी संवेदक की स्वयं की होगी। प्रतिदिन कार्य की समाप्ति पश्चात पम्प उक्त स्थल पर ले जाने की व्यवस्था फर्म की होगी।
3. निविदादाता प्रतिदिन लॉग बुक को भरे जाने एवं सक्षम अधिकारी (मुख्य सफाई निरीक्षक) तथा सफाई निरीक्षक/प्रमाण से प्रमाणित कराये जाने के लिये उत्तरदायी होगा।
4. प्रत्येक माह का बिल जोन के मुख्य सफाई निरीक्षक द्वारा लोग बुक में हस्ताक्षरमय सील प्रमाणीकरण उपरान्त गैराज प्रभारी को आगामी 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।
5. पम्प की यर्किंग का तात्पर्य पम्प के कार्यरत रहने से है भुगतान Actually कार्यशील घण्टो/दिनो का ही दरानुसार अनुपातिक देय होगा।

Signature valid
Digitally signed by Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8850841

पम्पो के अक्रियाशील रहने पर Idle Charge देय नही होगा। पम्प के आयडल दर का आशय साईट पर दो घण्टे से अधिक समय तक अकार्यशील रहने पर प्रभावी होगी, जो दो से अधिक घण्टे होने पर अनुपातिक देय होगी ।

7. निगम दक्षिण गैरेज के किसी सक्षम अधिकारी द्वारा किसी भी क्षमता के पम्प के S/By रखे जाने के लिखित निर्देश प्राप्त होने पर 24 घण्टे में 8 घण्टे से अधिक Idle Charge देय नही होगा।
8. कार्य के दौरान पम्प खराब होने पर उसी क्षमता के पम्प को तुरन्त प्रभाव से बदलने की जिम्मेदारी फर्म की होगी।

7. तकनिकी विवरण एवं अन्य शर्ते :–

1. सामान्यतया 15, 25 एवं 45 HP के पम्प उपलब्ध कराने होगें। आवश्यकता होने पर 100 HP सबमर्सिवल/मोनो ब्लोक पम्प की व्यवस्था संवदक को करनी होगी जिसकी Suction min क्षमता 15000 Ltr./min 1 feet delivery line के साथ आवश्यक होगी।
2. उक्त समस्त पम्प तकनिकी रूप से अच्छी कण्डीशन/उपयोग अवस्था में होने चाहिए जिनका अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में निगम अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
3. सभी पम्पों के चैसीस, टायर ट्यूब अच्छी स्थिति में होने आवश्यक है।
4. पम्पों के सभी स्पेयर पार्टस, उपसाधन, टायर टयूब, बैटरियॉ, डीजल, ऑयल, ल्युब्रिकेन्टस, पार्टस मरम्मत, चालक एवं पम्पों पर अन्य समस्त व्यय निविदादाता को करने होगे।
5. Transportation के समस्त नियमों की पालना संवेदक को करनी होगी।
6. उपलब्ध करवाये गये पम्प तकनिकी स्तर पर आधारभूत शर्तो से उच्चतर होने पर किसी तरह का अतिरिक्त महत्व नहीं दिया जायेगा तथा तकनिकी रूप से आधारभूत शर्तो अनुसार ही माना जायेगा।
7. 15, 25 45 एवं 100 HP के सबमर्सिबल पम्प के LPM Respectivly 2000, 4000, 6000 and 13000 Ltr. होना चाहिये, सभी श्रेणी के पम्प क्षमता अनुसार कार्य नही करने पर तुरन्त प्रभाव से पम्प मय Power Source बदलना होगा।
8. आवश्यकता होने पर अतिरिक्त Delivery Pipe की व्यवस्था फर्म को करनी होगी अन्यथा हर क्षमता में पम्प के साथ Suction एवं Delivery Pipe निश्चित Length में उपलब्ध होनी चाहियें आवश्यकता होने पर अतिरिक्त Pressure Delivery Pipe की व्यवस्था फर्म को सुनिश्चित करनी होगी।
9. पम्पों के पार्कीग स्थल से Working Site तक ले जाने की सम्पुर्ण व्यवस्था फर्म के जिम्मे होगी।
10. साईट पर पानी के भराव, जनता के आकोश एवं आवश्कतानुसार त्वरीत गति से कार्य Execute कर समस्या का समाधान करना होगा।

8. दुर्घटना

1. कार्य हेतु व कार्य के दौरान किसी भी तरह की जान माल की हानि, पम्प दुर्घटना या चोरी होने की स्थिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसान के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा तथा ना ही किसी प्रकार का भुगतान नगर निगम द्वारा देय होगा। सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा।
2. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण सार्वजनिक स्थल/कार्य स्थल पर वाहन से हुई टूट फूट के लिये नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
3. दुघर्टना में पम्प के क्षतिग्रस्त होने, चोरी होने या अन्य किसी भी तरह का टूट फूट होने पर संवेदक दुसरा उसी क्षमता का पम्प तुरन्त प्रभाव से उपलब्ध करवायेगा।
4. Working Site पर किसी प्रकार के हादसे के सन्दर्भ में निगम किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा सम्पूर्ण जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
5. साईट पर कार्य के दोरान किसी प्रकार के विरोध, वाद विवाद पर सम्बन्धित [illegible] को सूचित कर [illegible] प्रभारी/SI मुख्य सफाई निरीक्षक से समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान करेंगें।

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8850841

निगम शक्तियाँ एवं शास्तियां :—

1. आदेशित पम्प से कम संख्या में पम्प उपलब्ध करवाने पर उक्त दिवस का पम्प का किराया देय नहीं होगा एवं प्रतिदिन की दर का 50% अनुपातिक अनुसार शास्ति लगाई जायेगी।
2. कार्य स्थल पर किसी प्रकार के हादसे के लिए संवेदक जिम्मेदार होगा। किसी भी स्तर पर नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। संवेदक पम्प कार्य पर लगे श्रमिकों/चालकों को सम्बंधित सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करवायेंगे। इनके साथ किसी भी तरह का हादसा होने पर संवेदक जिम्मेदार होगा। किसी भी क्लेम के लिए नगर निगम उतरदायी नही होगा।
3. कार्य आरम्भ से समाप्ति अवधि के दौरान नगर निगम अधिकारी किंसी भी समय पम्पों का निरीक्षण करने के लिये स्वतंत्र होगें।
4. निगम क्षेत्र से बाहर पम्प को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अनुमति से ही भिजवाया जायेगा। पालना नहीं होने पर उस दिन का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा प्रति दिन की दर की 50% प्रति पम्प की शास्ती लगाई जायेगी।
5. कन्ट्रोल रूम से प्राप्त Call को तुरन्त प्रभाव से Respond करते हुए निगम दक्षिण के किसी भी वार्ड में एक घण्टे के भीतर पहुचना होगा। एक घण्टे में साईट पर नही पहुचने पर प्रति घण्टा 200/— विलम्ब चार्ज के रूप में शास्ति काटी जायेगी।
6. उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा निर्देशित समय पर पम्पों के नहीं पहुँचने अथवा समय पूर्व पम्पों के हटाये जाने पर रूपये 1000/— प्रतिपम्प/प्रतिदिन की पेनल्टी लगााई जायेगी।
7. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क एवं कोस्ट पर अन्य फर्म से कार्य कराया जा सकेगा। अन्य फर्म से कार्य कराने पर अन्तर राशि संवेदक से वसूली जायेगी तथा प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए फर्म के विरूद्ध RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
8. निविदा संबंधित RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तें यथा परिवर्तन लागू होगी।
9. आवश्यकता होने पर पम्पों की संख्या बढाई जा सकेगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता पम्पों की संख्या में/कार्य क्षेत्र में बिना कारण बताये कमी करने का अधिकार नगर निगम को रहेगा।
10. साईट पर मांग अनुसार क्षमता का पम्प गैरेज प्रभारी के लिखित आदेश पर ही लगा कर पानी की निकासी करनी होगी क्षमता अनुरूप पम्प नही लगाने पर हुऐ विवाद मर प्रति घटना 1000/— की शास्ति काटी जायेगी।

10. निविदा प्रपत्र में संशोधन :—

1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।

2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुक्त
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं/हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर निविदा प्रपत्र में भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

हस्ताक्षर निविदादाता

Signature valid
Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref
8850841

परिशिष्ट 'अ'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कार्य का नामः– नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में बरसात/अतिवृष्टी के दौरान पानी निकालने के कार्यों हेतु चार माह के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमता के पम्प उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु निविदा

वितीय बिड

क्र.स.	कार्य का प्रकार	दर (सभी करों सहित)
1	नगर निगम जोधपुर दक्षिण क्षेत्र में मानसुन, अतिवृष्टी के दोरान पानी निकासी हेतु आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमता के पम्प उपलब्ध करवाने ,मय पम्प, ऑपरेटर, POL एवं रखरखाव सम्बन्धित अन्य समस्त Miscellance व्यय। (प्रति दिन 24 घण्टे संचालन) Note:- 100 HP Submersible/monoblock pump (electric operated) 3PH with suction/delivery 1' (one feet)	(1) प्रति माह (15) HP Pump ....रूपये (Working Rate) ....रूपये प्रति दिन 8 घण्टे (Idle Rate) (2) प्रति माह (25) HP Pump ....रूपये (Working Rate) ....रूपये प्रति दिन 8 घण्टे (Idle Rate) (3) प्रति माह (45) HP Pump ....रूपये (Working Rate) ....रूपये प्रति दिन 8 घण्टे (Idle Rate) (4) प्रति माह (100) HP Submersible Pump / MONO BLOCK ....रूपये (Working Rate) ....रूपये प्रति दिन 8 घण्टे (Idle Rate)

1. दरों में सभी टैक्स सम्मिलित होगें।
2. दर ऑनलाइन अपलोड किये गये BOQ में ही भरनी होगी।

निविदादाता हस्ताक्षर

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8850841

ponent=%24DirectLink&page

परिशिष्ट – 'ब'

कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण

–:: <u>अण्डर–टेकिंग</u> ::–

निविदा के लिये मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें/हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं/हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नही होगा तथा अगर मैंने/हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नही की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नही किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशों की पालना नही की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मैं/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि स्वयं के नाम डम्पर के अतिरिक्त ओर कार्य की आवश्यकतानुसार डम्पर की मांग होने पर अन्य व्यक्ति/फर्म से डम्पर किराये पर लेकर उपलब्ध करा देंगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर विना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं/हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नही किया जावेगा। इसकी मैं/हम सहमति देते हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं/हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि मैं/हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम, जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक : ....

Signature valid
Digitally signed by
Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 [illegible]8:30:02 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref
8850841

[illegible] नाम
[illegible] सील

Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to .... *[Enter designation and address of the procuring entity]* for procurement of .... *[Insert name of the Works]* in response to their Notice Inviting Bids No............... Dated .... We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that;

1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;

3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;

4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;

5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;

6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:

Place:

Signature of Bidder

Name:

Designation:

Address:

Signature valid

Digitally signed by T Shubhamangala
Designation : Commissioner
Date: 2024.07.10 18:30:02 IST
Reason: Approved
RajKaj Ref 8850841